

## ई-पेंशन मॉड्यूल प्रक्रिया का सक्षिप्त विवरण

### STEP-1

#### पेंशनर्स द्वारा पेंशन कुलक भरने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण

1. सर्वप्रथम गूगल साईट पर IFPMS[pension.raj.nic.in] साईट सर्च करें जिससे पेंशन विभाग का Home Page प्रदर्शित होगा ।
2. Home Page पर Pensioner Services>- Apply For >- e-pension पर क्लिक करें तथा कार्मिक अपने पे-मैनेजर की Employee id एवं पासवर्ड से OPEN कर प्रदर्शित हो रहे कुलक प्रपत्रों को भरें ।
3. कर्मचारी संयुक्त फोटो/सिंगल फोटो/कर्मचारी के हस्ताक्षर/Witness-I and Witness-II के हस्ताक्षर JPEG format में Upload करें ।
4. LPC/Retirement order/D E pending certificate [ form-6] लेखा कार्मिक का प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र PDF format में Upload करें।
5. कार्मिक द्वारा ऑनलाईन कुलक भरने के बाद ई-पेंशन कुलक स्वतःही HO की पे-मैनेजर आईडी0 पर प्रदर्शित हो जाएगा ।

कुलक के प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण IFPMS के Home Page के Download Option के User Manual पर उपलब्ध हैं ।

### STEP-2

E-pension case पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सर्वप्रथम pay manager पर DDO login से H.O (Head of office) mark किया जाना आवश्यक है।

#### HO द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण

IFPMS के Home Page पर OFFICIAL LOGIN पर क्लिक करें तथा प्रदर्शित हो रहे Head of office/Dept. के Radio button को Select कर HO की पे-मैनेजर आईडी0 I.D. एवं पासवर्ड से OPEN कर प्रदर्शित हो रहे ई-कुलक प्रपत्रों को भरें ।

कुलक के प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण IFPMS के Home Page के Download Option में User Manual एवं e-pension में Training Video भी उपलब्ध हैं ।

### STEP-3

#### HO द्वारा E-sign हेतु की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण

1. E-sign के लिए कम्प्यूटर पर इन्टरनेट एक्सप्लोरर 9 या Above version पर ही कार्य किया जाना है ।
2. E-sign हेतु सर्वप्रथम IFPMS के Home Page के Download Option के DSC Setup को क्लिक करने पर DSC\_setup.zip file download होगी जिसे Extract करें, Extract folder में प्रदर्शित ActivexsignerInstaller,foxit Reader81-enu-setup-clean,IEll-window6.1-x64-en-us Software को install करें।
3. Internet explorer के setting में internet options में जाकर security को select कर custom level पर जाकर Activex controls and plug-ins and scripting के सारे Radio button को enable कर ok पर क्लिक कर save करें ।
4. HO level पर Login कर Menu option में जाकर Register DSC पर क्लिक कर HO का E-sign certificate upload करें ।
5. Process पूर्ण कर केस Data verify करने के बाद E-sign करें ।
6. E-sign के बाद सम्बंधित Pension office को Select कर Data Process करने पर पेंशन प्रकरण स्वतःही पेंशन कार्यालय को प्रेषित हो जाएगा ।

पेंशन प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् IFPMS के Home Page पर View status में e-pension/eppo download पर क्लिक कर कार्मिक की पे-मैनेजर की Emp.ID एवं पासवर्ड से Login कर eppo copy download कर प्राप्त की जा सकती हैं ।

उक्त समस्त प्रक्रिया का Video IFPMS Home page पर ई-पेंशन मेन्यू में जाकर Training Video option पर क्लिक कर E-pension Employee process एवं E-pension HO verification process पर जाकर देखा जा सकता है ।



